न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

रण सख्या : 53/2015

रामनाथ पुत्र प्रहलाद जाति मीणा निवासी गुदरावनी तहसील मांगरोल जिला बारां

.... प्रार्थी

♠ बनाम ♠

1. मुकन्दी पुत्र नाथू
2. लक्ष्मण पुत्र मुकन्दी
3. पप्पू पुत्र मुकन्दी
4. बसन्ती पत्नि मुकन्दी
5. गुलाब पत्नि लक्ष्मण
6. तस्वीर पत्नि पप्पू

} जातियान सहरिया निवासीगण गुदरावनी हाल निवासी ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां

7. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां

....अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट</u>

पीठासीन अधिकारी : हिम्मताराम मेहरा (आरएएस)

वकील प्रार्थी : श्री महेन्द्र सिंह हाडा, श्री कुलदीप जाजू

वकील अप्रार्थी : श्री अमित कुमार गौड

दायरा दिनांकः 03.09.2015 निर्णय दिनांक : 24.07.2017

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि राजस्व जमाबंदी सम्वत् 2068 से 2071 खसरा नं0 397/543 रकबा 1.60 है0 किस्म बारानी द्वितीय कुल किता 1 कुल रकबा 1.60 है0 वाके ग्राम गुदरावनी तहसील मांगरोल जिला बारां में खाता संख्या 55 वादी के खाते में दर्ज हो रही है प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में बतौर खातेदार कृषक दर्ज है। जिस पर प्रार्थी तन्हा काबिज काश्त है और हमेशा से ही अपनी पुस्तेनी आराजी का काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी से लगवा ही अप्रार्थी कम 1 के कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं0 395/505 रकबा 2.00 है0 खाता संख्या 45 वाके ग्राम गुदरावनी में दर्ज है। अप्रार्थी कम 2 ता 6 अप्रार्थी कम 1 के पारिवारिक सदस्य है। अप्रार्थी कम 1 ता 6 लडाकू व झगडालू प्रकार के व्यक्ति है जो प्रार्थी की आराजी खसरा नं0 397/543 रकबा 1.60 है0 में कब्ज करने की नियत से निर्माण कार्य करने पर आमादा है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी के पक्ष में व अप्रार्थी कम 1 ता 6 के विरूद्ध इस आशय की

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल

...दिया जावे कि खसरा नं0 397/543 रकबा 1.60 है0 ग्राम गुदरावनी पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही ... व आराजी में अनाधिकृत रूप से प्रवेश नही करें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। हमने अधिवक्ता की बहस सुनी। सम्पुर्ण विवेचनोपरान्त प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजात के आधार पर मैं इस निर्णय पर पहुचा हुं कि प्रार्थी खसरा नं0 397/543 रकबा 1.60 है0 ग्राम गुदरावनी के खातेदार कृषक है अतः अप्रार्थी कम 1 ता 6 को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वो प्रार्थी की आराजी जो वर्तमान में खाली पडी हुई है मे किसी प्रकार की दखलअंदाजी ना तो स्वयं करें एवं ना ही अपने प्रतिनिधि से करावे। प्रार्थी को भी इस आशय से पाबंद किया जाता है कि यदि अप्रार्थीगणो के पूर्व से ही पुराने मकान एवं अन्य स्ट्रेक्चर यदि मौके पर बने हुए हो तो अस्थायी निषेधाज्ञा की आड में उन्हे बेदखल कर आवास वीहीन ना करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल दावे के साथ संलग्न हों।

निर्णय आज दिनांक 24.07.2017 को अदालत कोर्ट केम्प मांगरोल मजमेंआम सरेईजलास में सुनाया गया।

(हिम्मता राम मेहरा)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल